माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई–मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

☎ : कार्या:– (0755) 2551650, फैक्स – (0755) 2552061

क्रमांक /2258 / प.स. / 2022 भोपाल दिनांक 01/02/2022

प्रति,

समस्त,
जिला कलेक्टर
मध्यप्रदेश

विषयः– मण्डल द्वारा संचालित वर्ष 2022 की परीक्षाओं के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने, परीक्षाओं की पवित्रता, गुणवत्ता, विश्वसनीय बनाये रखने हेतु सुरक्षाबलो / होमगार्ड एवं प्रेक्षकों की नियुक्ति।

––//––

हायर सेकेण्डरी / हाईस्कूल व अन्य परीक्षायें वर्ष 2022 की परीक्षाए क्रमशः 17 फरवरी एवं 18 फरवरी 2022 से आयोजित हो रही है। गतवर्षानुसार इस वर्ष भी परीक्षाओं में कानून व्यवस्था बनाये रखने एवं परीक्षा की पवित्रता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिये निरीक्षण दल गठित किये जाना है। निरीक्षण दलों के परिचय पत्र पृथक से प्रेषित किये जावेंगे। साथ ही संवेदनशील / अति संवेदनशील परीक्षा केन्द्रों पर पुलिस बल की तैनाती भी गतवर्षानुसार की जाना है।

1. **गोपनीय सामग्री प्रेषण एवं वितरण**

जिलों में प्रश्न पत्र वितरण हेतु गोपनीय सामग्री जिले की समन्वयक संस्था में नियत समय पर पहुंचाई जा रही है। जिले की समन्वयक संस्था पर गोपनीय सामग्री (प्रश्न–पत्र) स्ट्रांगरूम में पुलिस गार्ड की अभिरक्षा में सुरक्षित रखी जाना है। जिला समन्वयक संस्था से दिनांक 14.02.2022 व 15.02.2022 के मध्य जिला कलेक्टर के द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि एवं जिला शिक्षा अधिकारी के मार्गदर्शन में सुरक्षा व्यवस्था के अधीन परीक्षा केन्द्रों के केन्द्राध्यक्षों को प्रश्न पत्रों का वितरण एवं प्रश्न पत्रों को निकटतम थाने में पूर्व वर्षो की भांति रखवाया जाए। थाने से प्रश्न पत्र निर्धारित समय पर ही प्राप्त कर, सुरक्षा के अधीन परीक्षा केन्द्रों पर लाकर परीक्षा संचालन की कार्यवाही की जाना है। जिले की समन्वयक संस्था से थाने तक गोपनीय सामग्री के परिवहन हेतु प्रति परीक्षा केन्द्र ₹400/– मण्डल द्वारा प्रदाय किये जावेगें।

2. **थाने से प्रश्न–पत्र निकालने की प्रक्रिया**

थाने से प्रश्न पत्र निर्धारित समय पर ही प्राप्त कर, सुरक्षा के अधीन परीक्षा केन्द्रों पर लाकर परीक्षा संचालन की कार्यवाही की जाना है। इस हेतु प्रत्येक थाने में गोपनीय सामग्री निकालने हेतु केन्द्राध्यक्ष / सहायक केन्द्राध्यक्ष, थाना प्रभारी एवं कलेक्टर के प्रतिनिधि के समक्ष प्रश्न पत्र थाने से निकालने की कार्यवाही की जावेगी, कलेक्टर के प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में प्रश्न पत्र निकालने की कार्यवाही कदापि नहीं की जाना है। प्रश्न–पत्र निकालते समय प्रत्येक दिन केन्द्राध्यक्ष / सहायक केन्द्राध्यक्ष, थाना प्रभारी एवं कलेक्टर के प्रतिनिधि थाने में रखी अभिरक्षा पंजी क्रमांक–1 में निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर किये जाना अनिवार्य होगा। केन्द्राध्यक्ष / सहायक केन्द्राध्यक्ष प्रतिदिन ड्युटी (एक दिन केन्द्राध्यक्ष एवं दूसरे दिन सहायक केन्द्राध्यक्ष) बदलकर प्रश्न–पत्र के पैकेट्स स्वयं निकालते समय पुलिस स्टेशन पर रखी अभिरक्षा पंजी क्रमांक–1 व परीक्षा केन्द्र पर रखी अभिरक्षा पंजी क्रमांक–2 में यथास्थान प्रविष्टियाँ कर हस्ताक्षर करना सुनिश्चित करेंगे। प्रश्न पत्रों के बाक्स में दो मजबूत ताले रहेगे। एक ताले की चाबी केन्द्राध्यक्ष के पास तथा दूसरे ताले की चाबी सहायक केन्द्राध्यक्ष के पास रहेगी तथा बाक्स को प्रतिदिन निर्देशानुसार सील्ड किया जायेगा। कलेक्टर प्रतिनिधि थाने से प्रश्न पत्र निकालने के उपरांत संलग्न प्रोफार्मे में प्रतिदिन प्रातः 09:30 बजे ई–मेल पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। नियुक्त कलेक्टर प्रतिनिधियों के थानेवार नाम, पद, पता, मोबाईल नम्बर एवं हस्ताक्षर सहित सूची, प्रश्न–पत्र वितरण दिनांक 14.02.2022 को वितरण केन्द्र पर उपस्थित मण्डल प्रतिनिधि को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे। कलेक्टर प्रतिनिधि को प्रति थाना प्रतिदिन ₹100/– (₹एक सौ मात्र) मानदेय दिया जावेगा, जिसका भुगतान प्रतिनिधि को संबंधित जिला समन्वयक संस्था के द्वारा परीक्षा समाप्ति उपरांत उपस्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर किया जावेगा।

3. <u>सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था</u>

मध्यप्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम, 1937 के प्रावधानानुसार परीक्षा प्रारम्भ होने के दो घण्टे पूर्व से लेकर परीक्षा पूर्ण होने तक परीक्षा केन्द्रों से 100 गज की दूरी के अन्दर किसी अनाधिकृत व्यक्तियों तथा अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगाने का प्रावधान हैं। इसमें अनाधिकृत व्यक्तियों के बेमतलब प्रवेश व घूमने, कागज या अन्य वस्तुओं का वितरण या प्रचार–प्रसार, ऐसी वस्तुओं का उपयोग जिसका प्रयोग आक्रामक आयुध के रूप में किया जा सकता है, परीक्षा से संबंधित अधिकारी/वीक्षक (इन्वीजिलेटर)/कर्मचारीगण को डराने का प्रयास इत्यादि का उल्लेख है। प्रत्येक केन्द्र में इस विषय में सतर्क रहना आवश्यक है।

अतः (यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार के अनैतिक कार्य में लिप्त सामूहिक नकल करने एवं कराने में गंभीर रूप से लिप्त पाए जाने पर) पाया जाता है तो उनके विरूद्व परीक्षा अधिनियम 1937 की धाराओं के तहत पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाए (सुलभ संदर्भ हेतु परीक्षा अधिनियम 1937 की प्रति संलग्न है) कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि छात्र छात्राओं की तलाशी का कार्य शालीनता किन्तु दृढ़ता से किया जावे। छात्राओं की तलाशी सिर्फ शिक्षिकाओं द्वारा ही की जावे। तलाशी का कार्य परीक्षा कक्ष के अंदर किसी वर्दीधारी व्यक्ति/पत्रकार द्वारा कतई न किया जाए। सुरक्षा व्यवस्थाओं के बावजूद यदि कोई व्यक्ति अथवा संस्थान सामूहिक नकल करने अथवा कराने में लिप्त पाया जाता है तो कलेक्टर द्वारा ऐसे व्यक्तियों को चिन्हांकित किया जाकर उसके विरूद्व मध्यप्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम 1937 तथा अन्य संगत अधिनियमों के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही भी की जाये।

शासन एवं मण्डल निर्देशों के अनुक्रम में जिला कलेक्टर द्वारा एवं मापदण्डों अनुसार चयनित संवेदनशील/अति संवेदनशील परीक्षा केन्द्रों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 अनुसार निषेधाज्ञा, जैसे चुनाव के समय मतदान केन्द्र के आस–पास लगाई जाती है, प्रवर्तित कि जाना भी उचित होगा। ऐसा करने से प्रशासन को 5 या उससे अधिक लोगों की अनाधिकृत मौजूदगी परीक्षा केन्द्र के आस–पास होने की दशा में उन्हें तितर–बितर/गिरफ्तार करने की स्वतः कानूनी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे।

निर्धारित समस्त परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा के सफल संचालन तथा नकल पर अंकुश लगाने हेतु यथा उचित पुलिस बल के साथ साथ उड़नदस्ते भी तैनात किये जाए। जिले के डिप्टी कलेक्टर एवं सेवानिवृत्त डिप्टी कलेक्टर/अधिकारियों को निरीक्षण दल के रूप में तैनात किये जाऐ, जो परीक्षा के मध्य परीक्षार्थियों की तलाशी का कार्य भी आवश्यकतानुसार करेंगे। कलेक्टर/अन्य अधिकारी द्वारा नियुक्त निरीक्षण दल को ₹50/–(₹पचास मात्र) प्रति केन्द्र मानदेय मण्डल को निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रदान किया जावेगा।

4. <u>संवेदनशील/अति संवेदनशील केन्द्र की व्यवस्था एवं प्रेक्षक नियुक्ति</u>

संवेदनशील/अति संवेदनशील केन्द्रों के लिये अधिकतम 10 दिवस के लिये **हायर सेकेण्डरी के मुख्य विषय गणित, अंग्रेजी, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान एवं अर्थशास्त्र तथा हाईस्कूल के लिये मुख्य विषय अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, एवं सामाजिक विज्ञान** के लिये आवश्यकतानुसार प्रेक्षकों का चयन एवं नियुक्ति कलेक्टर द्वारा की जाए। यथासंभव पिछले पॉच वर्षों में सेवानिवृत्त होकर जिले में निवासरत् अथवा सेवारत प्रथम श्रेणी/द्वितीय श्रेणी अधिकारी एवं सेवानिवृत्त प्राचार्य जो निडर एवं निष्पक्ष होकर प्रेक्षक का कार्य करने में सक्षम हो को ही प्रेक्षक नियुक्त किया जाए, प्रेक्षकों की डयूटी निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारंभ होने से आधे घंटे पूर्व से लेकर उत्तर पुस्तिका को निर्धारित स्थान पर जमा करने तक रहेगी। प्रेक्षक केन्द्र पर अपनी उपस्थिति में अपने समक्ष प्रश्न–पत्रों के लिफाफे खोलना सुनिश्चित करवायेंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्न–पत्र किसी भी दशा में केन्द्र से बाहर न जावे, साथ ही परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित समस्त कर्मचारियों के मोबाइल अपने समक्ष सील करवाना भी सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त कार्य के लिये प्रत्येक प्रेक्षक को एक दिवस के लिये ₹600/– (₹छः सौ मात्र) नगद मानदेय दिया जायेगा। **<u>यह राशि मण्डल द्वारा सीधे संबंधित केन्द्राध्यक्ष को उपलब्ध कराई जाएगी इस राशि का भुगतान परीक्षा समाप्ति उपरांत ड्यूटी प्रमाणित होने पर प्रेक्षक को किया जाएगा। नियुक्त प्रेक्षक प्रतिदिन अपनी उपस्थिति जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम में निर्धारित मोबाईल नम्बर पर एस एम एस से दर्ज करायेगें</u>** तथा परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा समाप्ति पर अपनी रिपोर्ट मण्डल के ई–मेल : **mpbse @ mp-nic.in** व **regconf.mpbse@mp.gov.in** पर भी देगें।

किसी प्रकार की गंभीर घटनाक्रम घटित होने पर प्रेक्षक तत्काल कलेक्टर, पुलिस कंट्रोल रूम, जिला शिक्षा अधिकारी एवं मण्डल के संभागीय कार्यालय को सूचित करेगें। ऐसे निर्देश नियुक्त प्रेक्षकों को दिये जाए। आपके द्वारा चिन्हित आर्ब्जवर्स की ऑनलाइन प्रविष्टि की जाना है। उक्त प्रविष्टि जिला शिक्षा अधिकारियों को **MP Online** के पोर्टल पर उपलब्ध कराये गये **G2G** लॉगिन में की जाना है। उक्त प्रविष्टि के आधार पर आर्ब्जवर्स को परीक्षा केन्द्रों पर आवंटन रेण्डम पद्धति द्वारा ऑनलाइन किया जावेगा। यह कार्यवाही आवश्यक रूप से दिनांक 10.02.2022 तक पूर्ण की जाना है।

5. उक्त दर्शाये गये मुख्य विषयों की परीक्षा के लिये संवेदनशील/अति संवेदनशील केन्द्रों पर कम से कम 1–4 या अधिक की तथा सामान्य दिनों के लिये न्यूनतम आवश्यक बल लगाया जाये। इस हेतु प्रतिदिन ₹150/–(₹एक सौ पचास मात्र) प्रति होमगार्ड/प्रति सैनिक को कुल 10 दिवसों के लिये **राशि मण्डल द्वारा सीधे संबंधित केन्द्राध्यक्ष को उपलब्ध कराई जाएगी इस राशि का भुगतान परीक्षा समाप्ति उपरांत ड्यूटी प्रमाणित होने पर होमगार्ड/सैनिक को किया जाएगा।** परीक्षा व्यवस्था में लगने वाली पुलिस बल की व्यवस्था पूर्वानुसार की जावे, इसके लिये पृथक से कोई राशि मण्डल द्वारा नहीं दी जायेगी।

नियुक्त प्रेक्षकों की सूची तथा उनका मोबाईल नम्बर उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करें, ताकि मण्डल अपने स्तर से समस्त प्रेक्षकों से सम्पर्क रख कर संवेदनशील एवं अति संवेदनशील केन्द्रों की रिर्पोट प्राप्त कर सके। पूर्व वर्ष की भांति आशा है कि आपके नेतृत्व में मण्डल परीक्षा का सफल संचालन पूर्ण दृढ़ता व अनुशासन में संपन्न होगा।

संलग्न–1. जिले की केन्द्र सूची
2. संवेदनशील/अति संवेदनशील केन्द्रों की सूची।
3. प्रेक्षक का नियुक्ति पत्र एवं प्रतिवेदन प्रारूप।
4. प्रश्न–पत्र निकालने का विवरण प्रारूप।
5. कलेक्टर प्रतिनिधि का थानावार प्रमाणीकरण
6. कलेक्टर प्रतिनिधि की उपस्थिति का प्रमाणीकरण

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक/2259/प.स./2022 भोपाल दिनांक 01/02/2022

प्रतिलिपिः–
1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. निज सचिव, अध्यक्ष, सचिव माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश।
3. आयुक्त, लोक शिक्षण संचनालय, मध्यप्रदेश।
4. आयुक्त, आदिवासी विकास मध्यप्रदेश।
5. समस्त, सभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
6. समस्त, पुलिस अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
7. समस्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
8. समस्त, सयुक्त, संचालक लोक शिक्षण, समस्त संभाग मध्यप्रदेश।
9. समस्त, जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. समस्त, प्राचार्य, जिला समन्वयक संस्थायें मध्यप्रदेश।
11. समस्त, परीक्षा केन्द्राध्यक्ष मध्यप्रदेश, की ओर भेजकर लिखा जाता है, कि संबंधितों को भुगतान पश्चात् पावती, सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
12. आंचलिक/समस्त संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश।
13 नि.स.–अति सचिव/उप सचिव/परीक्षा नियंत्रक/वित्ताधिकारी/परीक्षा पंजीयक मा.शि.मं भोपाल।

कि ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय जिला कलेक्टर ....मध्यप्रदेश

पत्र क्रमांक/ / /2022 दिनांक ....

प्रति,

श्री ....

पद ....

पदस्थ कार्यालय ....

विषयः– मण्डल द्वारा संचालित वर्ष 2022 की परीक्षाओं हेतु प्रेक्षकों के रूप में नियुक्ति।

—//—

हायर सेकेण्डरी–हायर सेकण्डरी व्यवसायिक/हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 2022 की परीक्षाए क्रमशः 17 फरवरी एवं 18 फरवरी 2022 से आयोजित हो रही है। माध्यमिक शिक्षा मण्डल की परीक्षाओं में संवेदनशील/अतिसंवेदनशील परीक्षा केन्द्र...पर प्रेक्षकीय कार्य हेतु आपको नियुक्त किया जाता है। कार्य एवं कर्तव्य निम्नानुसार है–

1. संवेदनशील/अतिसंवेदनशील परीक्षा केन्द्र पर हायर **सेकेण्डरी के मुख्य विषय – गणित, अंग्रेजी, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान एवं अर्थशास्त्र तथा हाईस्कूल के लिये मुख्य विषय अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, एवं सामाजिक विज्ञान** के दिवसों में प्रेक्षकीय कार्य किया जाना है। **प्रेक्षकीय कार्य का भुगतान केन्द्राध्यक्ष के माध्यम से उपस्थिति प्रमाणित होने पर परीक्षा समाप्ति उपरांत किया जाएगा।**

2. नियुक्त प्रेक्षक प्रतिदिन अपनी उपस्थिति जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम में निर्धारित मोबाईल नम्बर पर तथा एस एम एस से दर्ज करायेगें।

3. किसी प्रकार की गंभीर घटना होने पर तत्काल कलेक्टर कार्यालय,पुलिस कंट्रोलरूम, जिला शिक्षा अधिकारी एवं मण्डल के संबंधित संभागीय कार्यालय को सूचित करें।

4. संवेदनशील/अतिसंवेदनशील परीक्षा केन्द्र की प्रतिदिन फोटोग्राफ भी तैयार करें, कम से कम परीक्षा प्रारंभ एवं परीक्षा समाप्ति की फोटो अवश्य खीचें। सामूहिक नकल के प्रयास किये जा रहे हो तो फोटोग्राफ मण्डल को ई–मेल : mpbse @ mp.nic.in के माध्यम से प्रेषित करें।

5. प्रेक्षकीय कार्य हेतु संलग्न प्रारूप में प्रतिदिन केन्द्र का निरीक्षण प्रतिवेदन मण्डल के संबंधित संभागीय कार्यालय में फैक्स के माध्यम से प्रेषित करें।

6. निम्न बिन्दुओं का भी ध्यान रखें –

(अ) परीक्षा कक्ष में प्रवेश के पूर्व तलाशी ली गई है।

(ब) प्रश्न पत्र थाने से निर्धारित समय से लाये गये, एवं पंचनामा बनाकर प्रश्नपत्र का पैकेट खोला गया।

(स) उत्तर पुस्तिका में रोलनंबर छिपाने हेतु स्टीकर भली–भांति लगाये गये है।

(द) अमूल्यांकित उत्तरपुस्तिका निर्धारित समय से परीक्षा समाप्ति उपरांत संकलनकेन्द्रों में जमा की गई।

(इ) परीक्षा केन्द्र पर बैठक व्यवस्था की स्थिति।

कलेक्टर

जिला ....(म.प्र.)

प्रारूप–4

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

जो लागू हो ✓ करें

प्रेक्षक का दैनिक प्रतिवेदन

हाईस्कूल / हायर सेकेण्डरी
....
परीक्षा वर्ष ....

1. अतिसंवेदनशील / संवेदनशील परीक्षा केन्द्र का नाम ....
2. परीक्षा की तिथि ....विषय .... समय ....
3. क्या परीक्षा निर्धारित समय पर प्रारम्भ हुई? (विलंब की स्थिति में कारण दर्शाये) ....
   ....उपस्थित छात्र संख्या.......................अनुपस्थित छात्र संख्या..........
4. क्या परीक्षा कक्ष में प्रवेश के पूर्व दो बार तलाशी की कार्यवाही की गई? [हाँ] [नहीं]
5. थाने से प्रश्न पत्र लाने का समय [ ] प्रश्न पत्र पंचनामा बनाकर खोलने का समय [ ]
6. थाने से लाये प्रश्न पत्र पैकिट की संख्या [40-] [20-] [10-]
7. क्या प्रत्येक उत्तर पुस्तिका पर रोल नम्बर को छिपाने के उद्देश्य से स्टीकर भली–भांति लगाये गये? [हाँ] [नहीं]
   यदि नहीं तो विवरण दे।
8. होम गार्ड / सुरक्षा बल की ड्यूटी के संबंध में अभिमत [उत्तम] [संतोषजनक] [गार्ड नही लगाई गई]
9. क्या नियमानुसार उत्तर पुस्तिकाएँ सुरक्षित रूप से निर्धारित स्थल पर जमा की गई? [हाँ] [नहीं]
10. परीक्षा के दौरान बनाये गये नकल प्रकरणों की संख्या [ ]
11. केन्द्र पर सामूहिक नकल की गई / सामूहिक नकल होने पर केन्द्राध्यक्ष ने क्या कार्यवाही की ? संक्षिप्त
    विवरण ....
    सामूहिक नकल प्रमाणित हुई [प्रथम घंटे में] [द्वितीय घंटे में] [अंतिम घंटे में]

    सामूहिक नकल किस निरीक्षण दल द्वारा प्रमाणित की..
12. क्या केन्द्राध्यक्ष / सहायक केन्द्राध्यक्षों द्वारा पुलिस में कोई [हाँ] [नहीं]
    आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया गया? यदि हॉ तो विवरण दें।..
13. केन्द्राध्यक्ष के कार्य के संबंध मे अभिमतः– [उत्तम] [संतोषजनक] [असंतोषजनक]
    (असंतोषजनक होने की स्थिति में विवरण दीजिए) ....
14. परीक्षा केन्द्र पर बैठक व्यवस्था की स्थिति [ठीक] [ठीक नहीं / छात्रों को टाट पटटी पर बैठाया गया]
15. परीक्षा के दौरान कोई व्यवधान हुआ हो तो उसका विवरण ....
    ....

प्रेक्षक का नाम व पद ....
पता ....
प्रेक्षक के हस्ताक्षर
गोबाईल नं. ....
केन्द्राध्यक्ष के प्रमाणीकरण न होने की दशा में प्रदत्त राशि का भुगतान नही किया जावेगा।

केन्द्राध्यक्ष का प्रमाणीकरण

1. प्रमाणित किया जाता है कि श्री...पद...
   प्रेक्षक के रूप में केन्द्र पर समय...........................से ....समय तक उपस्थित रहे। उपरोक्त दी गई जानकारी से में सहमत / असहमत हूँ।
2. संवेदनशील / अतिसंवेदनशील केन्द्र होने के पश्चात् भी कोई प्रेक्षक उपस्थित नहीं हुआ।

नोटः– यदि केन्द्र संवेदनशील / अतिसंवेदनशील है तो केन्द्राध्यक्ष, प्रेक्षक की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति में अपना प्रमाणीकरण प्रतिदिन दिये गये निर्देशानुसार प्रेषित करेगें।

केन्द्र क्रमांक –

केन्द्राध्यक्ष के हस्ताक्षर पद मद्रा

पुलिस थाने / चौकी में रखी पेटी के प्रश्न–पत्र निकालने का विवरण

परीक्षा का नाम ....प्रश्न–पत्र निकालने का दिनांक ....समय ....

स. क्र	केन्द्र कमांक	विषय का नाम	कुल निकाले गए प्रश्न–पत्रों के पैकेटों की संख्या विवरण सहित		
			10	20	40

नोटः– आदेश क्रमांक दिनांक के बिन्दू क्रमांक (2) के अनुसार नियुक्त एवं अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर से प्राप्त प्रपत्र ही मान्य होगा।

प्रमाणित किया जाता है संबंधित विषय के ही प्रश्न–पत्र के पैकेट निकाले गये हैं।

नियुक्त कलेक्टर प्रतिनिधि

हस्ताक्षर ....

नाम ....

पद ....

कलेक्टर प्रतिनिधि के उपस्थिति का प्रमाणीकरण

प्रतिनिधि का नाम...पद...

बैंक खाता क्रमांक...बैंक / शाखा का नाम..

आई.एफ.एस.सी. कोड...

कार्यालय का नाम...

पदस्थ थाने का नाम...

थाने में रखे केन्द्र क्रमांक

स.क्र.	परीक्षा का नाम	दिनांक	प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

थाना प्रभारी मण्डल द्वारा प्रदाय अभिरक्षा पंजी–2 से संबंधित कलेक्टर प्रतिनिधि की उपस्थिति प्रमाणित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री................

....

दिनांक....................से दिनांक...................

तक कुल दिवस.....................केन्द्रों के

प्रश्न पत्र निकालते समय उपस्थित रहे।

थाना प्रभारी हस्ता.
पदमुद्रा

नोट–कलेक्टर प्रतिनिधि इस प्रारूप को पूर्ण कर जिले की समन्वयक संस्था में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। उपस्थिति जमा करने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जा सकेगी।

कलेक्टर प्रतिनिधि को उपस्थिति के दिन के हिसाब से समन्वयक संस्था प्राचार्य द्वारा प्रतिदिन रूपये 100 / – भुगतान किया जावेगा।

समन्वयक संस्था प्राचार्य का प्रगाणीकरण
पदमुद्रा सहित

समन्वय संस्था का कलेक्टर प्रतिनिधि का थानावार प्रमाणीकरण

संभाग.. जिला..

समन्वय संस्था का नाम..

स. क्र.	थाने का नाम	कलेक्टर प्रतिनिधि का नाम व पद एवं पदस्थ कार्यालय का नाम	कुल दिवस उपस्थिति	प्रतिदिन 100/-रूपये के हिसाब से प्रदाय राशि
		कुल राशि		

प्राचार्य हस्ता. व पदमुद्रा
(समन्वयक संस्था)

नोट– उपरोक्त कुल राशि मण्डल से समन्वयक संस्था को उनके खाते हस्तांतरित की जावेगी। प्राप्त राशि से संबंधित कलेक्टर प्रतिनिधियों को भुगतान किया जावेगा।